

15/09/22

पत्रावली पेश हुई।  
वकील प्राधी अनु।  
वकील अप्राधी अनु।  
दोनों पक्षकारान के अधिवक्ता अनु रहेने  
से पत्रावली में बहल युक्त जाना संभव  
नहीं है। कारण: न्यायालय का ध्यान में  
रखते हुए पत्रावली कायदा दि. 18/10/2022  
को पेश है।

जिला कलेक्टर, पाली

18/10/2022

पत्रावली पेश हुई।  
वकील प्राधी अनु।  
वकील अप्राधी अनु।  
दोनों पक्षकारान आधी वार पेशी दि- 15/9/22  
को अनुपास्थित रहे हैं। आदेशिका दि.  
03/10-2017 अनुसार प्रकरण में पुनः सुनवाई  
का निर्णय किया जाना है परन्तु अधिवक्ता  
पक्षकारान लम्बे लम्बे से प्रकरण में  
उपस्थित नहीं दे रहे हैं जिससे सुनवाई  
किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।  
कारण आवाजे दिवाई जाने के उपरान्त  
भी अधिवक्ता प्राधी एवं अप्राधी न्यायालय  
में उपस्थित नहीं काये लिहाजा निगरानी  
अदम पौली- अदम हाली में खारिज की  
जायी है।

पत्रावली फिलहाल सुनवाई को  
सम्बल रहे है।

जिला कलेक्टर, पाली